बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, वेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

सं०सं०-नि०प्रा०/नि० 1-74/2009 -407 /पटना, दिनांक 22 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)
सभी नोडल पदाधिकारी
सभी अनुमंडल पदाधिकारी
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी
सभी निर्वाचन पदाधिकारी।

विषय : **पैक्स निर्वाचन, 09 : जिला स्तर पर निर्वाचन प्रक्रिया के समुचित संचालन हेतु विभिन्न कोषांगों का गठन।**

संदर्भ : **प्राधिकार का पत्रांक 363 दिनांक 18.05.2009।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्राधिकार के संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में ही लोकसभा चुनाव के समय गठित विभिन्न कोषांगों को, अपेक्षाकृत कम कर्मियों के साथ, पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया जा चुका है।

प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही कोषांगों को क्रियाशील बना देना आवश्यक होगा, ताकि सीमित समय में निर्वाचन संबंधी सभी कार्रवाईयाँ पूरी की जा सकें।

2. जिला स्तर पर गठित किए जाने वाले कोषांगों एवं उनके प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नलिखित है -

(1) **कार्मिक, प्रशिक्षण एवं प्रेक्षक कोषांग**

- निर्वाचन हेतु कार्मिकों की अध्यापेक्षा;
- यूनिक सीरियल नंबर द्वारा कार्मिकों का डाटा-बेस तैयार करना
- प्रथम नियुक्ति पत्र तैयार करना
- रैण्डमाईजेशन पद्धति द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान दलों का गठन एवं अंतिम नियुक्ति पत्र तैयार करना
- गश्ती दण्डाधिकारियों/जोनल दण्डाधिकारियों आदि की प्रतिनियुक्ति
- जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कराना
- प्राधिकार के दिशा-निर्देशों के अधीन निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगाए गए कर्मियों(सुरक्षित कार्मिक सहित) को निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं पर प्रशिक्षित करना

- प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्रियों की व्यवस्था
- प्राधिकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के लिए संपर्क पदाधिकारी (Liaison Officer), वाहन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा उनसे प्राप्त प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना

(2) **सामग्री एवं वाहन कोषांग**

- निर्वाचन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता का आकलन करना
- मतपेटियों की आवश्यक मरम्मती, ग्रीजिंग, रंगाई आदि सुनिश्चित करना
- प्राधिकार स्तर से दी जाने वाली सामग्रियों को छोड़कर निर्वाचन/मतदान (मतगणना कार्य में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों/प्रपत्रों आदि procurement अधिप्राप्ति के लिए निविदा आदि आमंत्रित करना एवं निश्चित समय-सीमा के अंदर आवश्यक संख्या में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना
- मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्रियों के पैकेट बनाकर उन्हें निर्वाचन पदाधिकारियों को वितरण हेतु उपलब्ध कराना।
- मतदान दलों को मतदान केन्द्र पर पहुँचाने हेतु आवश्यक वाहनों की व्यवस्था
- वाहनों के अधिग्रहण के लिए अध्यापेक्षा तैयार करना
- पर्यवेक्षकों के लिए वाहन की व्यवस्था
- विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु प्रतिनियुक्त पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के लिए वाहनों की व्यवस्था
- सुरक्षा बलों के आवागमन के लिए वाहनों की व्यवस्था
- निर्वाचन कर्त्तव्य में प्रयुकत वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल/मोबिल की व्यवस्था एवं लौग बुक का संधारण

(3) **मीडिया कोषांग**

- यह जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के कार्यालय में स्थापित किया जाएगा।
- निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी देने के लिए जनसम्पर्क कार्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ मुहैया करायी जायेगी।
- प्राधिकार द्वारा विहित समय के अनुसार मीडिया ब्रीफिंग करना एवं उन्हें आवश्यक आंकड़े तथा सूचना उपलब्ध कराना
- प्राधिकार के निदेशों के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई करना
- मतदान/मतगणना केन्द्रों में मीडियाकर्मियों के प्रवेश के लिए अनुमति पत्र(पास) निर्गत करना
- अन्य दायित्व जो प्राधिकार अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) द्वारा सौंपे जाएं।

(4) **आचार संहिता, निर्वाचन अपराध एवं निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग**

- आचार संहिता के उल्लंघन एवं निर्वाचन अपराध के मामलों को पंजीबद्ध करना तथा सक्षम पदाधिकारियों से शिकायतों की त्वरित जाँच करना
- जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करना
- जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण कर आचार संहिता के अनुपालन की स्थिति से अवगत होना
- अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे व्यय पर नजर रखना एवं रैण्डम चेकिंग कर निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराना
- परिणाम घोषणा के पश्चात् 15 दिनों की अवधि में निर्वाचन व्यय का लेख समर्पित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राधिकार को भेजना।

(5) **मतपत्र कोषांग**

- निर्वाचन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2% अतिरिक्त मतपत्रों की आवश्यकता का आकलन एवं प्राधिकार के निदेश के अधीन उनके मुद्रण की व्यवस्था करना।
- मुद्रित मतपत्रों का प्रखंडवार/पैक्सवार एवं मतदान केन्द्रवार विखंडन सुनिश्चित कराना
- मतपत्रों को पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के माध्यम से पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत कराने की व्यवस्था।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 407 ,पटना/दिनांक 22 मई, 2009

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी